पत्रांक–7/जन स्वा0–8–01/2012– 57(7)a

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना

क्षेत्रीय उप निदेशक, मुजफ्फरपुर/पटना

संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न के अनुसार)।

पटना, दिनांक : 19-10-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–N2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 1,54,95,510/– (एक करोड़ चौवन लाख पंचान्वे हजार पॉच सौ दस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–11(7)ब दिनांक–20.4.12 एवं 26(7)ब दिनांक–6.6.12 तथा मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 1,54,95,510/– (एक करोड़ चौवन लाख पंचान्वे हजार पॉच सौ दस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक– 3388वि0(2) दिनांक 18.4.11, 3833 वि0(2) दिनांक–02.04.12, 4201 वि0(2) दिनांक– 18.04.12 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड N2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय उप निदेशक, मुजफ्फरपुर/पटना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वंय अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे । साथ ही जिस इकाई में राशि बचत है और व्यय की राशि क्षीण है उस इकाई के बचत राशि का प्रत्यर्पण अविलम्ब कर दिया जाय ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

19/10/12

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 57(7)व पटना, दिनांक : 19-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/12

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	क्षेत्रीय उप निदेशक,मुजफ्फरपुर	460000	253000	32200	0	9200	6900	761300	0	761300	467/10.7.12
2	क्षेत्रीय उप निदेशक, पटना	400000	220000	60000	10000	8000	6000	704000	0	704000	806/24.8.12
3	सिविल सर्जन, गया	120000	66000	8400	0	2400	1800	198600	2000	200600	3033/29.9.12
4	सिविल सर्जन, मुंगेर	240000	132000	16800	0	4800	3600	397200	0	397200	241/6.8.12
	कुल योगः–	**1220000**	**671000**	**117400**	**10000**	**24400**	**18300**	**2061100**	**2000**	**2063100**	

(बीस लाख तिरसठ हजार एक सौ) रू0 मात्र

19/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–II

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	लोक स्वा0 संस्थान, पटना	बी0एच0डब्लू0 कार्यक्रम	क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र राजगीर	पोषाहार योजना	विसूचिका मैक्सीन प्रयोगशाला	कुल
1	वेतन (01–01)	1000000	3800000	700000	66000	2300000	7866000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	550000	1900000	385000	36300	1265000	4136300
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	150000	532000	70000	9900	345000	1106900
4	परिवहन भत्ता (01–05)	10000	10000	0	5000	10000	35000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	15000	11400	10500	990	23000	60890
6	अन्य भत्ता (01–07)	20000	76000	14000	1320	46000	157320
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**1745000**	**6329400**	**1179500**	**119510**	**3989000**	**13362410**
7	कार्यालय व्यय (13–01)	5000	5000	0	0	0	10000
8	दूरभाष (13–03)	1000	0	0	0	0	1000
9	किराया महसूल एवं कर (14–01)	54000	0	0	0	0	54000
10	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	5000	0	0	0	0	5000
	कुल योगः–	**1810000**	**6334400**	**1179500**	**119510**	**3989000**	**13432410**

(एक करोड़ चौतीस लाख बत्तीस हजार चार सौ दस रूपये मात्र)

19/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

57(7) ब
19-10-12

व्यय का सारांशः–

विवरणी – III

क्रमांक	कोड एवं संस्थान का नाम	विवरणी I	विवरणी II	कुल
1	वेतन (01–01)	1220000	7866000	9086000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	671000	4136300	4807300
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	117400	1106900	1224300
4	परिवहन भत्ता (01–05)	10000	35000	45000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	24400	60890	85290
6	अन्य भत्ता (01–07)	18300	157320	175620
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**2061100**	**13362410**	**15423510**
7	कार्यालय व्यय (13–01)	2000	10000	12000
8	दूरभाष (13–03)	0	1000	1000
9	किराया महसूल एवं कर (14–01)	0	54000	54000
10	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	0	5000	5000
	कुल योगः–	**2063100**	**13432410**	**15495510**

(एक करोड़ चौवन लाख पंचान्वे हजार पॉच सौ दस रूपये मात्र)

19/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–IV

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01–01)	59646000	48601000	9086000	57687000	1959000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	32805000	26730550	4807300	31537850	1267150
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	5964000	4681158	1224300	5905458	58542
4	परिवहन भत्ता (01–05)	354000	290650	45000	335650	18350
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1018000	902795	85290	988085	29915
6	अन्य भत्ता (01–07)	975000	795562	175620	971182	3818
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**100762000**	**82001715**	**15423510**	**97425225**	**3336775**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	500000	0	0	0	500000
8	यात्रा व्यय (11–01)	200000	101000	0	101000	99000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	250000	108000	12000	120000	130000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	200000	0	0	0	200000
11	दूरभाष (13–03)	12000	6000	1000	7000	5000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	100000	50000	0	50000	50000
13	विधि प्रभार (13–05)	100000	53000	0	53000	47000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	108000	54500	0	54500	53500
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	108000	54000	54000	108000	0
16	दवा भंडार (21–02)	600000	300000	0	300000	300000
17	छात्रवृत्ति/वजीफा (34–01)	26000	13000	0	13000	13000
18	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	277000	138000	5000	143000	134000
	कुल योगः–	**103243000**	**82879215**	**15495510**	**98374725**	**4868275**

19/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

57(7)09

19-10-12